न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 197/2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सरदारा दत्तक पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी घुमनसर कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

1 देवकी पुत्री पन्ना पत्नी रतिराम जाति जाट निवासी सेहीकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 इमलाल पुत्र दल्लुराम।
3 रामसिंह पुत्र दल्लुराम।
4 सुभाषचन्द्र पुत्र दल्लुराम।
5 अमरचन्द पुत्र दल्लुराम।
6 धर्मा पत्नी हरफुल सिंह।
7 मुन्नी पुत्री हरफुल सिंह।
8 सजना पुत्री हरफुल सिंह।
9 सुशीला पुत्री हरफुल सिंह।
10 शेरसिंह पुत्र हरफुल सिंह।
11 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरफुल सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण घुमनसर कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
12 बाबुलाल पुत्र रामस्वरूप।

Web Copy - Not Official

13 पपली पुत्री रामस्वरूप।
14 सुमन पुत्री रामस्वरूप।
15 विद्या पुत्री रामस्वरूप समस्त जाति जाट निवासीगण सेहीकलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
16 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ एवं उपपंजीयक अधिकारी सूरजलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अपील खिलाफ निर्णव व डिकी बअदालत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुंझुनू दावा उनवानी देवकी बनाम सरदारा वगैरह बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 389/2013 निर्णय व डिकी दिनांक 05.07.2016

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13-12-18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा वाद संख्या 389/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 97,458/2, 457 वाके घुमनसर कलां तहसील सूरजगढ़ प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 05.07.2016 से वाद डिक्री किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को सूचित किये बिना पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। यह प्राकृतिक न्याया के सिद्वान्त के विरूद्व है देवकी ने पिता की मृत्यु के 26 वर्ष बाद दावा पेश किया है जबकि मियाद 12 वर्ष की है धारा 63(4) में देवकी के खातेदारी अधिकार निरस्त हो चुके है। दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से देवकी पन्ना की बेटी हो यह साबित नही हुआ है देवकी का मौके पर कब्जा नही है कब्जे के अभाव में घोषणा वाद पोषणीय नही है। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1984 पेज 111, ए.आई.आर. 2016 राजस्थान पेज 89 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि पन्नाराम की मृत्यु 1987 में हुई है उसके दो पुत्रियां है दल्लुराम का लड़का सरदारा राम था उसने दल्लु व पन्ना दोनों की जमीन अपने नाम दर्ज करवा ली है दत्तक का कोई प्रमाण नही है दत्तक के बाद प्राकृतिक पिता से अधिकार खत्म हो जाते है गोद के बिन्दु को सिविल कोर्ट तय करता है। दल्लु के अन्य वारिसान ने गोद से इनकार किया है नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शून्य है घोषणा के वाद में मियाद लागु नही होती है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है लड़कियों का हित समाप्त करने के लिये सरदारा राम ने षडयंत्र पूर्वक कार्यवाही की है। अपील सारहीन है खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 04.04.2016 को जवाब दावा हेतु नियत था आयन्दा वास्ते जवाब दावा दिनांक 22.04.2016 को नियत की गई दिनांक 22.04.2016 को पीठासीन अधिकारी व्यस्त होने से मिसल आयन्दा गत आदेशानुसार 20.05.2016 को नियत की गई इसके उपरान्त पत्रावली में 28.06.2016 की आदेशिका लिख पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के सर्वथा विपरित है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सूचित किये बिना पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2016 को अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.12.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.12.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/12/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर